कदाचार सचेतक नीति

प्रस्तावना

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने दिनांक 22 जून 2007 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-जीएम के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नैगम शासन पर मार्गनिर्देश जारी किए हैं | मार्गनिर्देशों के अनुसार, आचरण और नैतिक नीति के संबंध में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी या कंपनी के सामान्य मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के विषय में प्रबंध को रिपोर्ट करने हेतु कर्मचारियों के लिए प्रणाली स्थापित करने की दृष्टि से कंपनी 'कदाचार सचेतक नीति' को प्रख्यापित कर सकती है|

2. कंपनी व्यावसायिक उच्च मानदंड, ईमानदारी, निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अपनाते हुए अपने संघटकों से निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यव्यवहार के निष्पादन में विश्वास रखती है| इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आचरण संहिता ('संहिता') को अपनाया है जिसमें सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित किया गया है जिनसे कंपनी और इसके कर्मचारियों के कार्यकलाप शासित होने चाहिए| 'संहिता' का कोई भी संभावित उल्लंघन, चाहे यह कितना ही महत्त्वहीन क्यों न हो अथवा इसे इस रूप में देखा जाता हो, कंपनी के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा | संहिता के उल्लंघन को प्रकाश में लाने में कर्मचारियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता| 'संहिता' के अंतर्गत एक प्रावधान है जिसके तहत कर्मचारियों से उल्लंघनों के विषय में रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जाती है|

3. तदनुसार, इस उद्देश्य से कदाचार सचेतक नीति (नीति) तैयार की गई है जो कंपनी की कर्मचारियों को यह पद्धति प्रदान करती है कि वे कंपनी के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक (मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख से संपर्क कर सकें |

परिभाषा

4. इस नीति में प्रयुक्त मुख्य शब्दावलियों की परिभाषाएँ नीचे दी गई हैं| यहाँ पर परिभाषित न की गई शब्दावलियों के अर्थ वहीं होंगे जो 'संहिता' के अधीन दिए गए हैं :-

क) "लेखापरीक्षा समिति" से अभिप्राय उस लेखापरीक्षा समिति से है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित किया गया हो ;

ख) "कर्मचारी" से अभिप्राय कंपनी में नियोजित निदेशकों सहित कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी (चाहे वे भारत अथवा विदेश में सेवारत हों) से है|

ग) "संहिता" से अभिप्राय एचएएल के व्यापार आचरण एवं नैतिकता की संहिता से है|

घ) "अन्वेषक" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिन्हें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख द्वारा प्राधिकृत, नियुक्त किया गया हो और जिनसे परापमर्श अथवा संपर्क किया जाता हो |

ङ) "संरक्षित प्रकटीकरण" से अभिप्राय ऐसे किसी भी संचार से है जिसे सद्भावना के साथ किया गया है और जो ऐसी सूचना को प्रकट या प्रदर्शित करता है जिससे अनैतिक या अनुचित कार्यकलाप प्रमाणित होते हो |

च) "व्यक्ति" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध अथवा जिसके संबंध में अन्वेषण के दौरान संरक्षित प्रकटीकरण किया गया हो अथवा साक्ष्य एकत्र किए गए हों|

छ) "कदाचार सचेतक" से अभिप्राय उस कर्मचारी से है जो इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटीकरण करता हो |

दायरा

5. यह नीति एचएएल आचरण संहिता का विस्तार है जिसे समय-समय पर यथासंशोधित रूप में दिनांक 11 मार्च 2008 के पत्र सं.सीओ/एसईसी/305/सीओसी/2008 के अंतर्गत परिचालित किया गया था | कदाचार सचेतक की भूमिका विश्वसनीय सूचना के साथ रिपोर्ट करने वाली पार्टी की भूमिका है | उनसे अन्वेषक अथवा तथ्यों का पता लगाने जैसे कार्यों की अपेक्षा नहीं की जाती, न तो वे समुचित सुधारात्मक कार्रवाई का निर्धारण ही करेंगे जैसाकि मामलों में आवश्यकता पड़ती हो |

6. कदाचार सचेतक को स्वतः कोई अन्वेषण संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख अथवा पहचाने गए अन्य अन्वेषकों के अनुरोध को छोड़ कर, वे किसी भी अन्वेषण कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं |

7. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष/ निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, संरक्षित प्रकटीकरण को समुचित रूप से निपटाया जाएगा|

पात्रता

8. कंपनी के समस्त कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटीकरण करने के पात्र हैं | यह संरक्षित प्रकटीकरण कंपनी के मामले से संबंधित हो सकता है |

अनर्हता

9. जबकि एक ओर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक कदाचार सचेतकों को किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती हो, जैसाकि यहाँ निर्दिष्ट किया है, परंतु इस संरक्षा का दुरुपयोग किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने का प्राधिकार होगा |

   क) इस नीति के अंतर्गत संरक्षा से अभिप्राय अनुशासनिक कार्रवाई से संरक्षा नहीं है जो कदाचार सचेतक के झूठे अथवा गलत आरोपों से उत्पन्न हो और यह जानते हुए कि यह गलत अथवा झूठा या दुर्भावपूर्ण है |

   ख) कदाचार सचेतक जो संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं जिसे आगे चलकर दुर्भावपूर्ण अथवा विद्वेषपूर्ण पाया जाता है अथवा कदाचार सचेतक, जो तीन या अधिक संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं जिसे बाद में तुच्छ, निराधार पाया गया हो अथवा सद्भाव से भिन्न इस विषय में रिपोर्ट की गई हो तो ऐसे कदाचार सचेतकों को इस नीति के अंतर्गत पुनः संरक्षित प्रकटीकरण के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा|

प्रक्रिया

10. प्रचालन प्रबंधन से संबंधित समस्त संरक्षित प्रकटीकरणों को जाँच के लिए कंपनी की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख को भेजना चाहिए |

11. अन्य समस्त संरक्षित प्रकटीकरणों के संबंध में जो कार्यपरक और अध्यक्ष स्तर के कर्मचारियों से संबंधित हों, उन्हें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए, ग्रेड- IX एवं X स्तर के अधिकारियों से संबंधित प्रकटीकरणों को निदेशक(मा.सं.) को भेजना चाहिए तथा ग्रेड-VIII स्तर के अन्य अधिकारियों से संबंधित मामलों को मुख्यालय के निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख को भेजना चाहिए |

12. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के विवरण निम्नलिखित हैं: -

* श्री गोपबंधु पटनायक
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी
सं.602, कोरोनेशन अपार्टमेंट, 28, पार्क रोड,
गौतम पल्लि के सामने,
लखनऊ – 226 001 (उ.प्र.)

निदेशक (मा.सं.) का पता
निदेशक(मा.सं.)
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
15/1, कब्बन रोड
बेंगलूर – 560 001

प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख का पता :-

प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
15/1, कब्बन रोड, बेंगलूर – 560 001.
* समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा |

13. संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना वरीयतः लिखित रूप में देनी चाहिए जिससे कि उठाए गए मामलों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके और यह या तो टंकित रूप में होना चाहिए अथवा सुस्पष्ट हाथ से लिखा होना चाहिए |

14 (i) संरक्षित प्रकटन को प्रावरण पत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए जिस पर कदाचार सचेतक की पहचान अंकित होगी| लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख, जैसी भी स्थिति हो, प्रावरण पत्र को अलग करेंगे और इसे प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर अन्वेषण के लिए केवल संरक्षित प्रकटीकरण को अन्वेषकों के पास अग्रेषित करेंगे |

(ii) लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख, जैसी भी स्थिति हो, सूचना प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर संरक्षित प्रकटीकरण की एक प्रति मुख्य सतर्कता अधिकारी को अग्रेषित करेंगे |

15. संरक्षित प्रकटीकरण वास्तविक और प्रथम दृष्ट्या प्रमाण के साथ होना चाहिए न कि अनुमान अथवा निष्कर्ष के आधार पर और इसमें यथासंभव विशिष्ट सूचना होनी चाहिए जिससे कि इसकी प्रकृति और संबंधित स्थिति का समुचित निर्धारण किया जा सके |

16. अनाम याचिकाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा |

अन्वेषण

17. इस नीति के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए समस्त संरक्षित प्रकटीकरण की विधिवत जॉच की जाएगी| लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / कंपनी के प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख अथवा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति / अभिकरण एवं सतर्कता विभाग लेखापरीक्षा समिति के प्राधिकार के अंतर्गत इसकी जॉच करेगा |

18. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख अपने विवेक पर जॉच पड़ताल के उद्देश्य से किसी अन्वेषक को इस काम में लगा सकते हैं |

19. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / कंपनी के प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख द्वारा जॉच करने संबंधी लिया गया निर्णय अपने आप में कोई आरोप नहीं होता और इसे तथ्य का पता लगाने की दृष्टि से तटस्थ प्रक्रिया मानना चाहिए |

20. कानून और अन्वेषण की विधिसम्मत आवश्यकताओं को देखते हुए व्यक्ति(यों) और कदाचार सचेतक की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा |

21. सामान्य तौर पर औपचारिक जॉच के प्रारंभ में ही लिखित रूप में आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा जॉच के दौरान सूचना प्रदान करने के अवसर दिए जाएंगे |

22. जॉच के दौरान उस सीमा तक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / कंपनी के प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख अथवा किसी अन्य अन्वेषक के साथ सहयोग करना व्यक्ति (यों) का कर्तव्य होगा कि इस प्रकार के सहयोग से, लागू नियमों के अंतर्गत उपलब्ध स्व-अपराध संरक्षा से समझौता नहीं होता हो

23. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं.) / कंपनी के प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख / अन्वेषकों और / या लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों और / या कदाचार सचेतक को छोड़कर वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा अपने पसंद के व्यक्तियों के साथ परामर्श कर सकता है| अन्वेषण प्रक्रियाओं में अपने प्रतिनिधित्व के लिए अपनी लागत पर व्यक्ति किसी भी समय किसी भी परामर्शदाता की सेवा लेने के लिए स्वतंत्र होगा |

24. व्यक्ति पर जॉच में हस्तक्षेप न करने का उत्तरदायित्व होगा| प्रमाणों को रोका नहीं जाएगा, इन्हें नष्ट अथवा इनसे छेड़-छाड़ नहीं की जाएगी और व्यक्ति द्वारा गवाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा, उन्हें सिखाया-पढ़ाया नहीं जाएगा और न ही उन्हें डराया-धमकाया जाएगा|

25. जब तक कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण न हों, व्यक्ति को जॉच रिपोर्ट में उल्लिखित ठोस निष्कर्षों के प्रति उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा| जब तक कि आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य न हों, तब तक व्यक्ति के खिलाफ गलत कार्य से संबंधित किसी भी आरोप को संपोषणीय नहीं माना जाएगा|

26. व्यक्ति (यों) को जॉच के परिणाम की सूचना पाने का अधिकार होगा| यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो व्यक्ति से परामर्श करना चाहिए कि क्या जॉच के परिणामों को सार्वजनिक करना व्यक्ति और कंपनी के हित में होगा| तथापि, कंपनी का हित अन्य चीजों से ऊपर होगा|

27. संरक्षित प्रकटीकरण की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आम तौर पर अन्वेषण कार्य पूरा किया जाएगा|

28. किसी प्रकार के गुप्त उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा मामले को उठाए जाने से रोकने के लिए कथित अनैतिक व्यवहार, संदेहास्पद धोखाधड़ी, उल्लंघन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक अवधि से संबंधित प्रकटीकरण को नहीं उठाया जाएगा|

संरक्षा

29. इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटीकरण के विषय में रिपोर्ट किए जाने के फलस्वरूप कदाचार सचेतक के प्रति किसी प्रकार का अनुचित बर्ताव नहीं किया जाएगा|

30. यह कंपनी नीति के रूप में कदाचार सचेतकों के खिलाफ किसी प्रकार के भेद-भाव, उत्पीडन, अत्याचार अथवा किसी अन्य अनुचित व्यवहार की निंदा करती है| किसी प्रकार के अनुचित कार्य जैसे प्रतिशोध बर्खास्त करने की धमकी या भय / सेवा से निलंबन, अनुशासनिक कार्रवाई, स्थानांतरण , पदावनति, पदोन्नाति न देने अथवा कदाचार सचेतक के कर्तव्य निष्पादन अधिकार को बाधित करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राधिकार के उपयोग एवं भविष्य में संरक्षित प्रकटीकरण के विरुद्ध कदाचार सचेतकों को पूरी संरक्षा दी जाएगी| संरक्षित प्रकटीकरण करने के परिणाम स्वरूप कदाचार सचेतक के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए कंपनी द्वारा कदम उठाए जाएँगे|

31. कदाचार सचेतक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को उपरोक्त खंड के उल्लंघन के विषय में रिपोर्ट कर सकता है जो उसकी जॉच करेंगे तथा प्रबंध को उपयुक्त कार्रवाई हेतु संस्तुति प्रदान करेंगे|

32. कदाचार सचेतक की पहचान को नियम के अंतर्गत यथासंभव और अनुमत सीमा में अनुमेय गोपनीय रखा जाएगा |.

33. कथित अन्वेषण में सहायता प्रदान करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी कदाचार सचेतक के समान संरक्षा दी जाएगी|

अन्वेषक

34. अन्वेषकों से तथ्यों का पता लगाने और विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाती है| अन्वेषक अपने अन्वेषण के दायरे के भीतर कार्य करते हुए लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक(मा.सं) / प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख से प्राधिकार और पहुंच का अधिकार प्राप्त करेंगे|

35. जॉच-पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक रूप से तकनीकी और अन्य संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं| सभी अन्वेषक वास्तविक और यथागोचर रूप में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होंगे| अन्वेषक निष्पक्षता, उद्धेश्य, संपूर्णता, नैतिक व्यवहार एवं कानूनी तथा व्यावसायिक मानकों का पालन करेंगे|

36. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष अथवा निदेशक(मा.सं) या प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख, जो भी स्थिति हो, द्वारा प्रारंभिक समीक्षा के बाद ही अन्वेषण प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें यह स्थापित किया जाएगा कि :-

i. कथित कार्य अनुचित अथवा अनैतिक या कदाचार से जुड़ा कार्य है, और

ii. आरोप विशिष्ट सूचना से समर्थित है और इसकी जॉच की जानी चाहिए अथवा ऐसे मामलों में जहाँ आरोप विशेष सूचना द्वारा समर्थित न हो, और यह महसूस किया जाता हो कि संबंधित मामला प्रबंध समीक्षा के योग्य है| बशर्ते इस प्रकार की जॉच को किसी अनुचित या अनैतिक कार्य अथवा कदाचार की जॉच के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए|

निर्णय

37. जॉच के उपरांत प्रणाली लेखा परीक्षा प्रमुख / निदेशक (मा.सं.) अपनी रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे| यदि इस जॉच से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया है, तो लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष कंपनी के प्रबंध को अनुशासनिक अथवा सुधारात्मक, जैसा लेखापरीक्षा समिति के अध्ययक्ष उचित समझें, कार्रवाई करने की संस्तुति दे सकते हैं| यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नीति के अनुसरण में जॉच के निष्कर्षों के फलस्वरूप व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अनुशासनिक अथवा सुधारात्मक कार्रवाई एचएएल आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम 1984 (सीडीए रूल्स) के अनुसार होगी|

रिपोर्टिंग

38. निदेशक(मा.सं.) अथवा प्रणाली लेखापरीक्षा प्रमुख, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर पिछली रिपोर्ट सहित जांच के परिणामों के साथ पिछली रिपोर्ट सहित समस्त संरक्षित प्रकटीकरण के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो उन्हें भेजी गई हो|

अभिलेखों / दस्तावेजों को सुरक्षित रखना

39. ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से किए गए संरक्षित प्रकटीकरण से संबंधित समस्त दस्ताजों को संरक्षित प्रकटीकरण की तारीख से कम से कम 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके बाद सूचना को नष्ट किया जा सकता है जब कि यह सूचना किसी संभावित वाद, जॉच, अन्वेषण के विषय में प्रासंगिक न हो, ऐसे मामले में सूचना को वाद जॉच अथवा अन्वेषण की अवधि तक, जैसा आवश्यक हो सुरक्षित रखा जाएगा |

नीति में संशोधन

40. कंपनी इस नीति को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में किसी भी समय बिना कोई कारण बताए संशोधित अथवा आशोधित करने का अधिकार रखती है और यह समस्त कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा|

<> <> <> <>